न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 30 सन 2021

अनवान :–

1. रमेश कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी उदासर बडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. संदीप कुमार पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी उदासर बडा तहसील नोहर।

प्रार्थी गण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :– 09/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 91/91 के खसरा न0 234/4 की 0.8090हैक , खसरा न0 242/2 की 1.8710हैक , खसरा न0 94/2 की 1.9870हैक कुल 4.6670हैक भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रमेश , संदीप पि0 उदमीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम रमेश कुमार , संदीप कुमार पि0 उदमीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , एव अन्य खातों की जमाबन्दीया सभी में प्रार्थीगण का नाम रमेश कुमार , संदीप कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 91/91 के खसरा न0 234/4 की 0.8090हैक , खसरा न0 242/2 की 1.8710हैक , खसरा न0 94/2 की 1.9870हैक कुल 4.6670हैक भूमि में प्रार्थीगण का नाम रमेश , संदीप पि0 उदमीराम के स्थान पर रमेश कुमार , संदीप कुमार पि0 उदमीराम संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्राथ्री का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 91/91 के खसरा न0

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

234/4 की 0.8090हैक्, खसरा न0 242/2 की 1.8710हैक्, खसरा न0 94/2 की 1.9870हैक् कुल 4.6670हैक् भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है

प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण रमेश, संदीप पि0 उदमीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीगण का सही नाम रमेश कुमार, संदीप कुमार पि0 उदमीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थीगण का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

प्रार्थीगण का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, एव अन्य खातों की जमाबन्दीया सभी में प्रार्थीगण का नाम रमेश कुमार, संदीप कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 91/91 के खसरा न0 234/4 की 0.8090हैक्, खसरा न0 242/2 की 1.8710हैक्, खसरा न0 94/2 की 1.9870हैक् कुल 4.6670हैक् भूमि के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम रमेश, संदीप दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि उसका सही नाम रमेश कुमार, संदीप कुमार है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड एवं अन्य ग्राम/खातों की जमाबन्दीया सभी में प्रार्थीगण का नाम रमेश कुमार, संदीप कुमार दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 91/91 के खसरा न0 234/4 की 0.8090हैक्, खसरा न0 242/2 की 1.8710हैक्, खसरा न0 94/2 की 1.9870हैक् कुल 4.6670हैक् भूमि प्रार्थीगण का नाम रमेश, संदीप पुत्र उदमीराम अकित है के स्थान पर रमेश कुमार, संदीप कुमार पि0 उदमीराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/9/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 /　　　　　　　　　　　　दिनांक :–

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 30 / 2021 अनवानी रमेश बनाम सरकार में` पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. रमेश कुमार 2. संदीप कुमार पि0 उदमीराम जाति जाट निवासी उदासर बडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 30 / 2021 अनवानी रमेश कुमार बनाम सरकार में दिनांक 09/09/2021 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा उदासर बडा के खाता संख्या 91 / 91 के खसरा न0 234 / 4 की 0.8090हैक , खसरा न0 242 / 2 की 1.8710हैक , खसरा न0 94 / 2 की 1.9870हैक कुल 4.6670हैक भूमि प्रार्थीगण का नाम रमेश , संदीप पुत्र उदमीराम अकित है के स्थान पर रमेश कुमार , संदीप कुमार पि0 उदमीराम संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर